अति आवश्यक

प्रेषक,

जनपद न्यायाधीश,
हाथरस।

प्रापक,

जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी,
एन0आई0सी0, हाथरस।

पत्रॉंकः 829 /XV–सिविल हाथरसः दिनॉंकः अप्रैल 19, 2018

विषयः **जनपद न्यायालय, हाथरस में मुंसिफी परिसर से लगी रिक्त भूमि पर चाय कैण्टीन एवं फल–फ्रूट चाट–चबैना की दुकान को वार्षिक ठेके पर उठाये जाने की सूचना एन0आई0सी0, हाथरस की वेबसाईट पर उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।**

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2018–2019 में राजस्व की वसूली हेतु जनपद न्यायालय परिसर से लगी रिक्त भूमि पर चाय कैन्टीन एवं फल–फ्रूट चाट–चबैना की दुकान को वार्षिक ठेके पर उठाया जाना है। उपरोक्त ठेकों की नीलामी हेतु दिनाँक 05.05.2018 दिन शनिवार को दोपहर 1:30 बजे स्थान जनपद न्यायालय परिसर, हाथरस में नीलामी की बोली बोलने के लिए नियत की गयी है, जिसके व्यापक प्रचार एवं प्रसार हेतु नीलामी की सूचना, एन0आई0सी0, हाथरस की वेबसाईट पर उपलब्ध करायी जानी आवश्यक है।

इस क्रम में नीलामी से सम्बन्धित सूचना इस आशय से आपको प्रेषित की जा रही हैं कि आप चाय कैन्टीन एवं फल–फ्रूट चाट–चबैना की दुकान के ठेके की नीलामी की सूचना, व्यापक प्रचार प्रसार हेतु एन0आई0सी0, हाथरस की वेबसाईट **www.hathras.nic.in** पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

19.4.18

(डा० ए०के० विश्वेश)
प्रभारी जनपद न्यायाधीश,
हाथरस।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

Scanned by CamScanner

कार्यालय– जनपद न्यायाधीश, हाथरस।

नीलामी सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2018–2019 के लिये, जनपद न्यायालय, हाथरस में स्थित मुंसिफी परिसर से लगी रिक्त भूमि को चाय कैन्टीन एवं फल–फ्रूट, चाट–चबैना की दुकान को वार्षिक ठेके पर उठाया जाना है, उक्त की नीलामी हेतु दिनाँक 05.05.2018 दिन शनिवार समय दोपहर 1:30 बजे नियत है। इच्छुक व्यक्ति नीलामी में भाग लेने हेतु समय से केन्द्रीय नजारत, जनपद न्यायालय, हाथरस में उपस्थित हों। नीलामी से सम्बन्धित अधिक जानकारी, केन्द्रीय नाजिर से प्राप्त की जा सकती है।

17/4/18

(आशीष जैन)
अध्यक्ष, नीलामी समिति /
अपर जनपद न्यायाधीश,
कोर्ट सं०–02,
हाथरस।
17.04.2018

आदेश

अवलोकित।-अनुमोदित

प्रभारी जनपद न्यायाधीश,
हाथरस।
17.04.2018

Scanned by CamScanner

कार्यालय– जनपद न्यायाधीश, हाथरस।

नीलामी की आवश्यक शर्ते :–

01. यह ठेका दिनाँक 01.04.2018 से 31.03.2019 तक की अवधि के लिए वैध है।

02. नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को बोली बोलने हेतु सरकारी बोली, विगत वित्तीय वर्ष की बोली की धनराशि पर 10 प्रतिशत जोड़कर बोली जाएगी।

03. ठेके की बोली बोलने वाले को बोली बोलने से पूर्व बतौर जमानत धनराशि रू० 20,000/–(बीस हजार) रूपये जमा करने होंगे। नीलामी की समाप्ति पर यदि उसके नाम ठेका नहीं छूटता है, तो जमानत धनराशि उस व्यक्ति को वापस कर दी जायेगी।

04. जिस व्यक्ति के हक में ठेका छोड़ा जायेगा, उसको नीलामी की समस्त धनराशि का 50 प्रतिशत तत्काल जमा करना होगा तथा शेष धनराशि 25–25 प्रतिशत की 02 त्रैमासिक किस्त (01 जुलाई–2018 तथा 01 अक्टूबर–2018) में जमा करनी होगी। यदि वह समस्त धनराशि जमा नहीं करता है तो उसकी जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

05. अधिकतम बोली बोलने वाले व्यक्ति के पक्ष में ठेका छोड़ा जायेगा।

06. ठेका की स्वीकृति का पूर्ण अधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश का होगा।

07. किसी भी ठेकेदार को ठेके को बेचने का अधिकार नहीं होगा। अपने किसी रिश्तेदार, सगे–सम्बन्धी या किसी अन्य को ठेका हस्तान्तरित नहीं करेगा।

08. ठेकेदार पानी एवं बिजली की व्यवस्था स्वयं करेगा।

09. प्रत्येक ठेकेदार को, जिसके नाम ठेका छोड़ा जायेगा, उसे नियमानुसार अण्डरटेकिंग देनी होगी तथा उसे नियमानुसार 100 रूपये का स्टॉम्प लेकर आना होगा और अनुबन्ध पत्र निस्पादित करना होगा।

10. प्रत्येक ठेकेदार को अपनी हैसियत का हैसियत प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड दाखिल करना आवश्यक होगा।

12/4/18

(आशीष जैन)
अध्यक्ष नीलामी समिति/
अपर जनपद न्यायाधीश,
कोर्ट सं०–02,
हाथरस।

Scanned by CamScanner